न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी प्रभात त्रिपाठी) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./118/2022

1. जया शर्मा पुत्र सुरेशचन्द त्रिपाठी जाति ब्राह्मण निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रकाशचन्द पुत्र श्रीबक्ष जाति खाती निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. लादूदास पुत्र श्रीबक्ष जाति खाती निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. महावीर पुत्र स्व0 श्री चन्द्रा जाति कुमावत निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. गोपाल पुत्र स्व0 श्री चन्द्रा जाति कुमावत निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर
5. माधू पुत्र स्व0 श्री चन्द्रा जाति बैरवा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– धर्मवीर बामनिया

2. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा देवलियांकलां पटवार क्षेत्र देवलियांकलां भू0अ0नि0 क्षेत्र देवलियांकलां के खाता संख्या 336 में दर्ज खसरा नं. 3585 रकबा 1.46 है0 एवं खसरा नम्बर 3586 रकबा 1.71 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 3.17 हैं0 है,** जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 05 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 06 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी सं. 01 लगा0 05 की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली में अप्रार्थी सं. 01 लगायत 05 के विरूध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली में पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया हैं। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र पैरोकार सरकार तथा राजस्व जमाबन्दी ग्राम देवलियांकलां का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

भिनाय (अजमेर)

पत्रावली का अवलोकन व मनन किया जाने पर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा देवलियांकलां पटवार क्षेत्र देवलियांकलां भू0अ0नि0 क्षेत्र देवलियांकलां के खाता संख्या [illegible] में दर्ज खसरा नं. 3585 रकबा 1.46 है0 एवं खसरा नम्बर 3586 रकबा 1.71 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 3.17 है0 है**, प्रार्थी की खातेदारी होने से भू–अभिलेख निरीक्षक **देवलियांकलां** को 1500/–(एक हजार पांच सौ रूपये) मौका कमीशनर फीस पर नियुक्त कर भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त पड़ौसी खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सुचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है। मौका कमीशनर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रभात त्रिपाठी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजयनगर, अजमेर